322

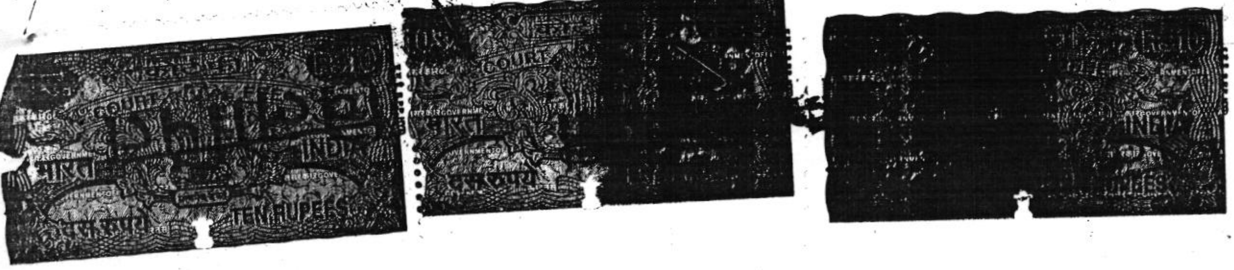

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

III/निगरानी/मुरैना/भू.रा/2017/4274

प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री राधाकृष्ण शर्मा, निवासी– महादेव नाका, मुरैना, म0प्र0 --आवेदक

श्री व क ला कौशिक, अभि0
द्वारा आज दि. 6-11-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पे. दि. 17-11-17

Noted.
17/11/17

बनाम

श्रीमती उषा शर्मा पत्नी स्व0 श्री राधाकृष्ण निवासी– महादेव नाका, शहर मुरैना, म0प्र0 --अनावेदिका

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांक 23/10/2017 जो न्यायालय तहसीलदार वृत्त मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/2016–17/अ–06 में पारित किया हैं।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, अनावेदिका द्वारा तहसील मुरैना में एक आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। अनावेदिका ने कथन किया कि, उसके हम दिनांक 08/07/2015 एवं दिनांक 12/08/2014 को उपपंजीयक मुरैना में रजिस्टर्ड वसीयत की, किन्तु वसीयतग्रहिता के पति बीमारी की अवस्था में कर्तव्य का निर्वाह अन्य वारिसों के द्वारा न किये जाने से वसीयतग्रहिता के माध्यम से वसीयत

XXIX(a)-BR(H)-11

322

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/4274

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को क़लेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	